संख्या: 10/2018/ 551/ सत्रह-म-2018-6-9(127)/17

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल,2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना की आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 4288250/-(रू0 बयालीस लाख अठठासी हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपनेपत्र संख्या-221/नि0शा0/2018-19 दिनांक 09 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 4288250/- (रू0 बयालीस लाख अटठासी हजार दो सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का शासन से अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वित्तीय वर्ष- 2018-19में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण् योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 46.98 लाख (छियालीस लाख अटठानबे हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण के अन्तर्गत मानक मद 02-मजदूरी में धनराशि रू0 159975,09-विद्युत देय में धनराशि रू0 471060,39-औषधि तथा रसायन में धनराशि रू0 154100,42- अन्य व्यय में धनराशि रू0 931676एवं 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 2571439 अर्थात कुल धनराशि रू0 4288250/- (रू0 बयालीस लाख अटठासी हजार दो सौ मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार 33 जनपदों के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2- उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक- ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0 /डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्तीय वर्ष 2018-19में प्रश्नगत योजना हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिताप्रमाण-पत्र समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

8- जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

9- स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नही हुआ/हो रहा है।

3 - उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय- व्ययक अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-02-मजदूरी,09-विद्युत देय, 39- औषधि तथा रसायन, 42-अन्यव्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने में कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 मेंदिये गये उक्त निर्देशों /शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या - 10/2018/551(1)/सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त् (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनु0 -3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 10/2018/551/सत्रह-म-2018-6-9(127)/ 2017,दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक

वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना 33जनपदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्रका नाम	लक्ष्य (लाखमें)	02-मजदूरी	09-विद्युत देय	39-औषधि	42-अन्य व्यय	43-सम्पूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	लडामदा	-	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	-	500	0	500	4420	7580	13000
3	आजमगढ	अजमतगढ	-	2500	12000	2500	10100	37900	65000
4	मऊ	हाजीपुर	-	2500	16100	2500	6000	37900	65000
5	बलिया	निधारिया एवं अवांय		8250	41250	8250	31680	125070	214500
6	इलाहाबाद	तेंदुआ एवं तरांव	-	11250	25000	11250	74450	170550	292500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	-	3750	14000	3750	19150	56850	97500
8	प्रतापगढ	बेलहा	-	8750	25000	8750	52350	132650	227500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
10	इटावा	करवाबुजुर्ग	-	1250	8550	1250	2500	18950	32500
11	देवरिया	खुखुन्दू	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
12	कुशीनगर	गंगेलवा	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	-	2500	0	2500	22100	37900	65000
14	संतकबीरनगर	तामां	-	4250	12000	4250	25570	64430	110500
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	-	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बॉदा	नहरी	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	झांसी	गुरसराय	-	4500	0	4500	39780	68220	117000
18	जालौन	आटा	-	2000	13680	2000	4000	30320	52000
19	ललितपुर	माताटीला	-	4250	0	4250	37570	64430	110500
20	सुल्तानपुर	तौकलपुर	-	8250	0	6950	57650	139650	212500
21	बाराबंकी	बंकी	-	7500	0	7500	66300	113700	195000
22	गोण्डा	पुरेतिवारी	-	10000	15000	10000	88400	299600	423000

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

23	बरेली	लांबाखेडा	-	1500	0	1500	13260	22740	39000
24	शाहजहॉपुर	बलेली	-	4250	15000	4250	22570	64430	110500
25	बिजनौर	ढेलाअहीर	-	1250	0	1250	11050	18950	32500
26	बागपत	सरूरपुर	-	4325	24461	2800	10051	60113	101750
27	उन्नाव	नवाबगंज	-	6250	15000	6250	40250	94750	162500
28	सीतापुर	सुरैचा	-	4250	0	4250	37570	64430	110500
29	हरदोई	सण्डीला	-	4250	29070	4250	8500	64430	110500
30	लखीमपुर खीरी	घरथनियां	-	5500	24000	5500	24620	83380	143000
31	जौनपुर	गूजरताल	-	8000	54720	8000	16000	121280	208000
32	मिर्जापुर	बघोडा एवं समोग्रा	-	13900	45859	10850	69575	199816	340000
33	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	-	11750	80370	11750	23500	178130	305500
	योग -		-	**159975**	**471060**	**154100**	**931676**	**2571439**	**4288250**

(कुल रू0 बयालीस लाख अठठासी हजार दो सौ पचास मात्र)

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।